आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये पदों का आरक्षण

9992. **श्री राम प्रसाद देशमुख** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशावणी और दूरदर्शन में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव और असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टरों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोटा आरक्षित किया गया है ;

(ख) क्या उक्त कोटा स्टाफ आर्टिस्टों और प्रोड्यूसरों के लिये आरक्षित नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रोड्यूसरों की नियुक्ति भी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से करने का है जैसा कि अनुसूचित जनजातियों मे से रखे जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण आदेश संगीतज्ञों और वादय गायकों की श्रेणी को छोड़कर आकाशवाणी के अन्य सभी स्टाफ आर्टिस्टां पर 18 सितम्बर, 1976 से लागू किए गए हैं । आकाशवाणी के प्रोड्यूसर स्टाफ आर्टिस्ट होने के कारण इस आदेश के अन्तर्गत आते हैं । जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, निम्नलिखित श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्ट अर्थात् जनरल असिस्टेंट कापीस्ट, कारपेंटर, पेंटर, दर्जी, मोल्डर, लाइटिंग असिस्टेंट और फ्लोर असिस्टेंट आरक्षण आदेशों के अन्तर्गत आते हैं । आरक्षण आदेशों को दूरदर्शन के अन्य श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों द्वारा कार्यक्रमों का सुचारु रूप से चलाया जाना

9993. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 से पहले प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते थे;

(ख) क्या ऐसा स्टूडियो एक्जीक्यूटिव लाइब्रेरियन और प्रोग्राम सेक्रेटरी के पद पर काम करने वालों को, जिन्हें ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिव के पदों पर पदोन्नत किया गया था, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के पदों पर पदोन्नत करने के लिए किया गया था ;

(ग) क्या पदोन्नति सम्बन्धी नियमों में 1976 में संशोधन किया गया था, क्योंकि उपरोक्त कर्मचारी प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के नाते दक्ष नही थे; और

(घ) यदि हां, तो पदोन्नत प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों द्वारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) और (ख). प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के पदों के भर्ती नियम अगस्त, 1973 में संशोधित किए गए थे जिनमें 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और मात्र 25 प्रतिशत पद ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिवों के पदों में से विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई थी । तथापि, संशोधित नियमों में एक यह उपबन्ध भी किया गया था कि सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति इस संशोधन की तारीख से दो